बच्चों के भोजन के अधिकार का दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन भोपाल (20–22 जनवरी, 2012)

समापन वक्तव्य

बच्चों के भोजन के अधिकार (CRTF- चिल्ड्रन राइट टू फूड) पर दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन भोपाल में 20 से 22 जनवरी 2012 को संपन्न हुआ। देश 19 विभिन्न राज्यों से आए 700 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया। अधिवेशन के दौरान चार मुख्य सत्रों के साथ 25 समानांतर सत्रों और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

अधिवेशन का मकसद देशभर में बच्चों के भोजन के अधिकार पर अमल और इससे जुड़ी हाल की नीतियों, तकनीकी पक्ष और अभियान के तौर पर अब तक हुए प्रयासों की समीक्षा करना था। इसके अलावा बच्चों के भोजन के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियों को साझा करने और अभियान के लिए आगे की गतिविधियों को आकार देने पर भी चर्चा की गई। देश की व्यापक आर्थिक परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में बच्चों के भोजन के अधिकार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर उन पर समझ बढ़ाने की कवायद भी अधिवेश में की गई।

एक ओर जहां देश उच्च आर्थिक विकास दर का जश्न मना रहा है, वही दूसरी ओर बच्चों के जीवनस्तर पर इस बढ़ोतरी का असर नहीं देखा जा रहा है। देश में करीब आधे बच्चे अभी भी कुपोषित हैं। शिशु और मातृ मृत्यु दर में हालांकि थोड़ा सुधार जरूर आया है, लेकिन यह ऊंचा बना हुआ है। इसके बावजूद विकास की रणनीतियां ऊंची आर्थिक विकास दर को ही लक्ष्य किए हुए है, जबकि देश की बुहसंख्यक आबादी के जीवन स्तर को सुधारने के लिए एक साथ कई योजनाएं चलाए जाने के बाद भी इनका अनुपातहीन फायदा कुछ संपन्न तबकों तक ही पहुंच पा रहा है। देशभर में हमें ऐसी परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं, जहां गरीब और भी असुरक्षित हो रहे हैं और उनका जल, जंगल, जमीन, बीजों और जैव विविधता पर तेजी से नियंत्रण खत्म होता जा रहा है, क्योंकि ये संसाधन निजी क्षेत्र के हाथों सौंपे जा रहे हैं। दूसरी तरफ देश का आर्थिक विकास लोगों को बेहतर मजदूरी के साथ रोजगार और कार्य की अनुकूल परिस्थितियों से महरूम करता जा रहा है।

अधिवेशन का आयोजन बच्चों के भोजन के अधिकार से जुड़ी इन्हीं ढांचागत परिस्थितियों के बीच हुआ। इसमें यह भी देखा गया कि बड़ी संख्या में बच्चे (दलित, अल्पसंख्यकों या आदिवासी परिवारों के, परियोजनाओं के कारण विस्थापित, निशक्त बच्चे, वे बच्चे तो हिंसाग्रस्त इलाकों में रहते हैं, पलायनकर्ता परिवारों के बच्चे और सड़क पर रहने वाले बच्चे) अलग–अलग असुरक्षित हालात के बीच रह रहे हैं, जो उनकी अक्षमताओं को बढ़ाने के साथ ही उन्हें भोजन के अधिकार से भी वंचित कर रहे हैं। सरकार की नीतियां ऐसे हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। इसी के परिप्रेक्ष्य में अधिवेशन में प्रशासन, जवाबदेही और राज्यों की जिम्मेदारी पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया।

अधिवेशन में हर समानांतर कार्यशाला में विषय से संबंधित एक विस्तृत प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें से निकले प्रमुख बिंदुओं को नीचे संक्षिप्त रूप में पेश किया गया है। इस तरह तैयार समापन वक्तव्य को आखिरी सत्र में सभी प्रतिभागियों को साझा कर उनकी सहमति से तैयार किया गया है। इन प्रस्तावों को 2006 में हैदराबाद में हुए बच्चों के भोजन के अधिकार से जुड़े पहले अधिवेशन में पारित प्रस्तावों की बुनियाद के तौर पर और उसके बाद भोपाल (2004), बादु (2005), गया (2007) और राऊरकेला (2010) में हुए भोजन के अधिकार अधिवेशन के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है।

अधिवेशन में पारित प्रस्ताव

1. समेकित बाल विकास योजना

- सभी आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यक्रम का गुणवत्ता और न्यायोचित बराबरी के साथ सर्वव्यापीकरण करने की जरुरत है। भारत में छह वर्ष से कम उम्र के सारे बच्चों तक आंगनवाड़ी कार्यक्रम की सभी सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित होनी चाहिए। योजना के विस्तार के साथ गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भी कदम उठाने की जरूरत है।
- सभी आयु समूहों के बच्चों पर पर्याप्त ध्यान एवं तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर विशेष देखरेख सुनिश्चित करने के लिए सभी आंगनवाड़ियों में दूसरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति की जानी चाहिए।
- आंगनवाड़ी योजना से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं को बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण पर नियमित रूप से प्रशिक्षण मिलने की आवश्यकता है।
- आंगनवाड़ी में मिलने वाले भोजन की विविधता और गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए और भोजन में पौष्टिक अनाजों से बनीं खाने की चीजें, अंडा, दूध, दही, मांस और अन्य स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थ मिलने चाहिए। समुदाय से परामर्श में बाद ही मेनू तय किया जाना चाहिए। गर्म पका हुआ भोजन का विकल्प सभी के लिए उपलब्ध होना चाहिए भले ही वे टेक होम राशन का लाभ उठा रहे हों।
- सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में आवश्यक रूप से बच्चों के शारीरिक विकास की निगरानी सेवा उपलब्ध होनी चाहिए।
- पर्याप्त और बच्चों के अनुकूल बुनियादी सुविधाएँ सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
- दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, निशक्त बच्चों के साथ आदिम जनजाति समूह एवं प्रवासियों के बच्चों को विभिन्न मॉडलों के माध्यम से शामिल करने का विशेष प्रयास करना चाहिए।
- आंगनवाड़ी का समय, मेनू एवं अन्य विषय को तय करने के लिए स्थानीय परामर्श होना चाहिए, जिससे आंगनवाड़ी कार्यक्रम की व्यवस्था अधिक से अधिक विकेन्द्रीकृत और लचीली हो सके।
- आंगनवाड़ी कार्यक्रम के बच्चों का पोषण बढ़ाने के लिए जमीनी कार्यकर्ताओं व प्रशासन के उच्चतर स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय, बच्चों के स्वास्थ्य व सुरक्षा से संबंधित सेवाओं पर काम करने वाले लोगों के बीच समन्वय, ग्रामीण स्वास्थ्य समितियों व ग्रामीण स्वच्छता समितियों के बीच समन्वय भी आवश्यक है।

2. स्थानीय उत्पादन और खाद्य पदार्थों की विविधता :

- आंगनवाड़ी के पूरक पोषण आहार कार्यक्रम को स्थानीय कृषि व पशुपालन से जोड़ना चाहिए। सरकार की योजनाओं में खाद्य पदार्थों के केंद्रीकृत उत्पादन व वितरण को तुरंत वापस लेते हुए इसकी जगह खाद्य पदार्थों के उत्पादन और वितरण की विकेंद्रीकृत व्यवस्था लागू की जाए, जो कि स्थानीय स्वसहायता समूहों के जरिए क्रियान्वित की जाए (जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका 196/2001 के तहत आदेश जारी किया है)।

- आंगनवाड़ी कार्यक्रम में अभी भी अमूमन अप्रत्यक्ष रूप में ठेकेदारों को शामिल किया गया है। इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए और उच्चतम न्यायालय के आदेशों को सख्ती से लागू करना चाहिए।
- स्वसहायता समूहों की क्षमताओं का विकास करते हुए उन्हें समर्थन दिया जाना चाहिए, साथ ही स्थानीय स्तर पर खाद्य आपूर्ति में व्यवधान को रोकने के लिए ढांचागत सुविधाएं खड़ा करने और रिवॉल्विंग फंड तैयार करने की कोशिश की जाए।
- आंगनवाड़ी और मध्यान्ह भोजन योजनाओं में उपलब्ध कराए जाने वाले गर्म पके हुए भोजन और घर ले जाने वाले राशन की आहार तालिका का निर्धारण बच्चों और किशोर–किशोरियों की पसंद को अहमियत देते हुए किया जाए।
- आंगनवाड़ी की ही तरह खाद्य आधारित सरकार के सारे कार्यक्रमों की विविधता और भोजन की गुणवत्ता को सुधारा जाना चाहिए। इसमें न सिर्फ सामान्य रूप से उपलब्ध अनाज, बल्कि पौष्टिक अनाज और अगर लोग चाहें तो पशु उत्पादों, जैसे दूध, अंडे और मांस को भी शामिल किया जाए।

3. मध्यान्ह भोजन

- मध्यान भोजन का विस्तार कक्षा 12 तक के सभी बच्चो तक किया जाना चाहिए।
- स्कूली शिक्षा से बाहर सभी बच्चों को मध्यान्ह भोजन योजना का हकदार बनाया जाए।
- आंगनवाड़ी कार्यक्रम की तरह समुदाय के किसानों और स्वसहायता समूहों को खाद्य पदार्थ सीधे मध्यान्ह भोजन योजना के तहत बेचने का मौका दिया जाना चाहिए। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा।

4. मातृत्व हकदारियां :

- मातृत्व हकदारियां का दायरा बढ़ाकर इसे और समावेशी बनाना होगा।
- मातृत्व हकदारियां बिना उम्र के बंधन, बच्चों की संख्या, वैवाहिक स्थिति या गरीबी रेखा से नीचे के दर्जे के प्रदान की जानी चाहिए,
- मातृत्व सहायता 9 माह तक मिलनी चाहिये। इसे प्रसव के पहले तीन माह और प्रसव के बाद छह माह तक जारी रखना होगा, ताकि स्तनपान को प्रोत्साहन मिल सके जो कि नवजात के लिये एकमात्र पोषण है।
- मातृत्व सहायता के रूप में दी जाने वाली नकद राशि को न्यूनतम पारिश्रमिक से जोड़ा जाना चाहिए।

5. झूलाघर :

- स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न झूलाघरों के उचित नमूने अपनाए जाने चाहिए।
- कम से कम 25 प्रतिशत आंगनवाड़ी केंद्रों को (समुदाय की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए) उचित ढांचागत वित्तीय संसाधनों व पर्याप्त कार्यकर्ताओं के साथ आंगनवाड़ी सह झूलाघर के रूप में विस्तार करना चाहिये।

- इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कुछ विशेष समूह जैसे पलायन करने वाले परिवारों और शहरी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों की पहुंच आंगनवाड़ी सह झूलाघर तक हो।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के कार्यस्थलों पर भी झूलाघर होने चाहिए। नरेगा के दिशा–निर्देशों में संशोधन करते हुए झूलाघर शुरू करने के लिए बच्चो की न्यूनतम संख्या वाले मानदंडों को हटाना चाहिए। इसके अलावा योजना में झूलाघर के संचालन हेतु बुनियादी सुविधा उपलब्ध करने हेतु पर्याप्त संसाधन हो।
- छोटे बच्चो की देखभाल एवं झूलाघर के प्रबंधन के लिए कार्यकर्ताओ को नियमित एवं पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए।

6. कार्यकर्ताओं के अधिकार :

- स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित सेवाएं देने वाले सभी कार्यकर्ताओं, विशेषकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता को पूर्णकालिक कार्यकर्ता का दर्जा मिलना चाहिए, साथ ही पर्याप्त मजदूरी व सामाजिक सुरक्षा का लाभ भी मिलना चाहिए।
- आंगनवाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं के मनोबल, काम के प्रति प्रतिबद्धता और उनका कार्यक्रम के प्रति जुड़ाव बढ़ाने के लिए उनकी क्षमताओं और आजीविकाओं के विकास को बढ़ावा देना होगा।

7. किशोरी बालिकाएं :

- आंगनवाड़ी केंद्रों और उसके जैसी सेवाओं में किशोरी बालिकाओं के पोषण व स्वास्थ्य से संबंधित आवश्कताओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
- आंगनवाड़ी द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओ में सभी किशोरी बालिकाओं का समावेश करने के लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया जाना चाहिए।

8. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक में वास्तव में खाद्य सुरक्षा स्थापित करने के लिए समुदाय की जमीन, जंगल, पानी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार सुनिश्चित करने के प्रावधान होने चाहिए।
- भोजन के अधिकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बच्चों की हक्दारियों के सम्बन्ध में पारित सभी अंतरिम आदेश एवं निर्णयों को खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत शामिल किया जाना चाहिए।
- खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए की कुपोषण से निपटने की जिम्मेदारी सरकार की है।
- विधेयक के तहत अनाज के भण्डारण एवं खरीद की विकेंद्रीकृत व्यवस्था प्रदान की जानी चाहिए।

- विधेयक के तहत किसी भी स्थिति में खाद्यान्न सब्सिडी के बदले नकद देने की व्यवस्था मान्य नहीं होगी ।
- इस विधेयक के तहत झूलाघरों के लिए भी प्रावधान किए जाने चाहिए। ।
- विधेयक यह सुनिश्चित करे कि आंगनवाड़ियों और मध्यान्ह भोजन योजनाओं के जरिए वितरित की जा रही खाद्य सामग्री विकेंद्रीकृत व्यवस्था के तहत प्राप्त की जाए।
- विधेयक की अनुसूची 2 में यह कहा गया है कि घर ले जाने वाला राशन अनिवार्य रूप से ''ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन, जिसमें रासायनिक सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा प्रति अनुशंसित आहार भत्ते का 50 फीसदी हो।'' इस प्रावधान को फौरन हटाया जाए। सूक्ष्म पोषक तत्वों को क्षेत्र की खाद्य विविधता का उपयोग करते हुए उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- आंगनवाड़ियों में एसएनपी के परिप्रेक्ष्य में ''रेडी टू ईट'' का प्रयोग विधेयक में से हटाया जाए। खाद्य सुरक्षा कानून में आंगनवाड़ियों और मध्यान्ह भोजन के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा गर्म पके हुए खाने को विषयवस्तु न बनाया जाए।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक में सिर्फ अनाज ही नहीं, बल्कि दालों, तेल और पोषण के लिए जरूरी अन्य खाद्य पदार्थों को भी शामिल किया जाए।
- खाद्य व पोषण सुरक्षा को कानून का एक अभिन्न हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
- उपरोक्त बिंदुओं के साथ ही बच्चों के भोजन के अधिकार पर आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के परिप्रेक्ष्य में भोजन के अधिकार अभियान द्वारा रखी गई सभी मांगों का समर्थन करता है।

9. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सर्वव्यापीकरण :

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किए जाने वाले राशन का सर्वव्यापीकरण होना ही चाहिए। इसमें गरीबी के अनुपात के आधार पर एपीएल/बीपीएल के तौर पर किसी तरह का विभाजन नहीं किया जाए।

10. खाद्य सामग्री में रासायनिक सूक्ष्म पोषक तत्वों की मिलावट :

- हालांकि पूरक आहार के रूप में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कुछ मौकों पर जरूरत हो सकती है, लेकिन इसे सरकार की मौजूदा पूरक पोषण आहार योजनाओं से जोड़ा जाना चाहिए, जिसके तहत आयरन फोलिक एसिड की गोली/ सिरप और विटामिन ए युक्त पूरक आहार उपलब्ध कराया जाता है।
- भोजन को भोजन के रूप में ही लिया जाए और दवा को दवा के तौर पर। खाद्य पदार्थों में जबर्दस्ती रासायनिक सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिलाकर उसे दवा बनाने के बजाय इन्हें जरूरत पड़ने पर अलग से उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- खून की कमी को दूर करने के लिए खाद्य पदार्थों, खासकर आटे में रासायनिक सूक्ष्म पोषक तत्वों की मिलावट के फायदे अभी प्रमाणित नहीं हुए हैं। ऐसी खाद्य सामग्री के उत्पादन के लिए केंद्रीकरण की जरूरत होगी, जो नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके साथ ही यह ऐसे समुदाय के लिए भी घातक होगा, जहां मलेरिया, सिकल सेल एनिमिया और थैलेसीमिया

जैसी महामारियों की आशंका से घिरा है, साथ ही यह उनकी खाद्य संस्कृति के लिए भी अनुपयोगी है।

- सरकार को इसकी जगह पौष्टिक अनाज, पशु उत्पादों और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अन्य खाद्य सामग्रियों को सार्वजनिक कार्यक्रमों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत पूरी करने के लिए उपयोग में लाना चाहिए।

11. निजीकरण और हितों का टकराव :

- जनसेवाओं के निजीकरण और खाद्य, स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में बड़ी कंपनियों का बढ़ता दखल अस्वीकार्य है और इसका विरोध होना ही चाहिए।
- खाद्य और पोषण सुरक्षा से जुड़ी तकनीकी सहायता और शोध को लेकर हितों का टकराव नहीं होने देना चाहिए।
- किसी भी सामग्री की आपूर्ति के लिए निजी पक्षों के चुनाव में भी हितों का टकराव नहीं हो।
- सरकार यह घोषणा करे कि वह शोध और इसके लिए आर्थिक सहायता के परिप्रेक्ष्य में हितों में टकराव नहीं होने देगी।
- बच्चों के भोजन का अधिकार अभियान द्वारा निजीकरण और हितों में टकराव के खिलाफ एक अभियान की अनिवार्य रूप से शुरुआत की जाएगी।

12. जीनांतरित पदार्थों

- जीनांतरित पदार्थों के मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव पर और अधिक शोध के बगैर इन्हें उपयोग के लिए जारी नहीं करना चाहिए। ऐसी तकनीकों का विशेषतौर पर बच्चों के स्वास्थ्य, कृषि और जैव विविधता खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले कुप्रभावों का आकलन करना होगा।
- मौजूदा जैव तकनीक नियमन प्राधिकरण (बीआरएआई) विधेयक की जगह जैव सुरक्षा विधेयक लाया जाए, जो सुरक्षा मानकों का पालन करे और यह निष्पक्ष वैज्ञानिकों के दीर्घावधि के शोध पर आधारित हो।
- जीनांतरित पदार्थों, बीजों के फिलहाल जारी सभी खुले मैदानी परीक्षणों को तत्काल रोका जाना चाहिए।

13. शोध :

- अभियान को अपने लिए और खाद्य व पोषण से संबंधित शोधकर्ता संस्थाओं के लिए शोध का एजेंडा तय करना होगा, ताकि वे अभियान की सारी सिफारिशों के बारे में सुबूत जुटा सकें और रणनीति व नीति तैयार करने के लिए बेहतर तरीके से सूचना दे सके।
- शोध का एजेंडा स्थानीय प्राथमिकता (जैसे कि पौष्टिक अनाज एवं अन्य स्थानीय स्तर पर उपलब्ध फसल के पोषण की मात्रा) को ध्यान में रखते हुए तय किया जायेगा।

14. पोषण की निगरानी :

- कुपोषण की स्थिति पर लंबे समय तक निरंतर आंकड़े जुटाने के लिए एक देशव्यापी कुपोषण निगरानी का मजबूत तंत्र विकसित करने की जरूरत है।
- इसके साथ ही राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (एनएफएचएस) जैसे व्यापक सर्वेक्षण की निरंतरता को बढ़ाकर उसे वार्षिक स्तर पर लाना होगा, ताकि कुपोषण की स्थिति के बारे में समूह आधारित आंकड़े उपलब्ध हो सकें।
- ऐसे सर्वेक्षण में समाज के सबसे कमजोर व असुरक्षित समूहों (पलायनकर्ता भी शामिल) को भी शामिल करना होगा, ताकि उनके बारे में समूह आधारित आंकड़े मिल सकें।

15. **सर्वोच्च न्यायलय के अंतरिम आदेश :**

- भोजन का अधिकार अभियान के मामले में राशन वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास, मध्यान्ह भोजन, राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के सभी आदेशों का दायरा और इसके प्रभावी क्रियान्वयन को बढ़ाए जाने और इसके बारे में लोगों में जागरूकता विकसित करने की जरूरत है।

16. बच्चों के भोजन के अधिकार के लिए अभियान :

- बच्चों के भोजन के अधिकार को हर स्तर पर राजनितिक एवं सामाजिक एजेंडा बनाने के लिए अभियान को काम प्रयास करने की जरुरत है। इसके लिए स्थानीय निकायों, महिला समूहों, रोजी–रोटी अधिकार अभियान समूहों एवं अन्य समूहों को शामिल करना चाहिए।
- अभियान को बच्चों के भोजन के अधिकार के मुद्दों को और आगे लाने के लिए पैरवी के विभिन्न विकल्पों को शामिल करना चाहिए जैसे मीडिया, राजनितिक दल, न्यायपालिका एवं प्रशासन।

17. समुदाय आधारित निगरानी

- योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण और स्थानीय समुदाय की नियमित सामुदायिक निगरानी आवश्यक है। इसे सभी योजनाओं के लिए सर्वव्यापी स्तर पर लागू किया जाना चाहिए।
- समेकित बाल विकास योजना, मध्यान्ह भोजन एवं अन्य योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण के लिए अलग से बजट का प्रावधान होना चाहिए।
- एकीकृत बाल विकास योजना, राशन वितरण प्रणाली और अन्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में जवाबदेही की व्यवस्था अभी बेहद कमजोर है। समुदाय की उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना होगा।
- बच्चो के भोजन के अधिकार से जुड़े मुद्दों को ग्रामसभा के एजेंडे में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही उन्हें पंचायत में होने वाले क्षमतावृद्धि कार्यक्रमों के बारे में भी सूचित किया जाए।

- पंचायती निकायों से जुड़े कर्मियों, जैसे स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति, स्कूल प्रबंधन समितियों और सामाजिक न्याय समितियों को कार्यक्रमों की निगरानी के अधिकार सौंपने होंगें, ताकि वे इन योजनाओं का क्रियान्वयन कराने वाले सरकारी कर्मियों को जवाबदेह बना सकें।

18. जवाबदेही प्रणालियां :

- जवाबदेही तय करने के लिए अभियान को व्यापक तरीको की प्रणालियां उपयोग करनी होंगी – जैसे कि मीडिया को शामिल करना, जनसुनवाई, सामाजिक अंकेक्षण, नागरिक संहिता, शिकायत निवारण केंद्र (सरकार समर्थित) और बजट की समीक्षा आदि –जिससे बच्चों के भोजन के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके।

19. शिकायत निवारण :

- स्थानीय स्तर पर एक प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था महत्वपूर्ण है।
- यह शिकायत निवारण व्यवस्था ऐसी हो कि इसमें जमीनी कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि पर्यवेक्षक एवं उच्च अधिकारियों की जिम्मेदारी का स्पष्ट तौर पर बंटवारा हो।
- एक बार शिकायत आने के बाद, सुधारात्मक कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। इसके साथ ही मुआवजा बांटने और नियम–कानूनों का पालन न करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधान को भी लागू किया जाना चाहिए।
- गरीबों–वंचितों से जुड़ी सभी योजनाओं में शिकायत निवारण की व्यवस्था को मजबूत करना होगा, साथ ही इसमें भेदभाव के शिकार समुदाय की पहुंच कायम करने पर विशेषतौर पर जोर देना पड़ेगा।
- शिकायत निवारण की एक निश्चित समय–सीमा तय होनी चाहिए।
- शिकायतों पर सरकारी नोडल एजेंसियों की प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई की गुणवत्ता कायम करने को लेकर जिम्मेदारी तय करनी होगी।
- शिकायत क्या हुई और इस पर क्या कार्रवाई की गई, इसकी सूचना सार्वजनिक की जाए।
- शिकायतकर्ता की सुरक्षा एक प्रभावी व्हिसल ब्लोअर कानून के माध्यम से सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- बच्चों के भोजन के अधिकार से जुडी सभी योजनायें प्रस्तावित शिकायत निवारण विधेयक (वस्तुओं एवं सेवाओं की समयबद्ध उपलब्धता और शिकायत निपटान से संबंधित नागरिक अधिकार विधेयक, 2011)के दायरे में आनी चाहिए। इन योजनाओं को विधेयक में शामिल कराने हेतु विस्तृत जानकारियों के सम्बन्ध में अभियान काम करेगा।

20. अन्य

- बच्चों एवं व्यस्कों पर होने वाले नीतियों के विपरीत क्लिनिकल परीक्षण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- नीतियों के विपरीत किसी भी प्रकार का क्लिनिकल परिक्षण करने वाले लोगों के खिलाफ दंडात्मक करवाई की जाए।

- कोल, मवासी और कोरकू जनजातियों को आदिम जनजाति समूहों में शामिल किया जाना चाहिए।
- अधिवेशन भोपाल गैस त्रासदी में प्रभावित लोगो के समर्थन में यह मांग करता है कि उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया जाए।
- अधिवेशन नर्मदा बांध से हुए विस्थापन और इसके खिलाफ आन्दोलन कर रहे समुदाय की मांगों एवं उनकी मुहिम का समर्थन करता है।